तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज लोकेन्द्र वगैरह बनाम मुख्त्यारसिंह वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/7/26	पत्रावली पेश हुई। अभि० उभयपक्ष उपस्थित उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 19/7/26 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	
19/7/26	पत्रावली पेश हुई। अभि० उभयपक्ष उपस्थित प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

RPU

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः—42/2025

1. लोकेन्द्र पुत्र मुख्त्यार सिंह जाति जाट निवासी फतेहपुर तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
2. रेनू पुत्री मुख्त्यार सिंह जाति जाट निवासी फतेहपुर तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1.मुख्त्यार सिंह पुत्र चेली जाति जाट निवासी फतेहपुर तहसील उच्चैन, जिला भरतपुर।
2.उत्तम सिंह पुत्र मुख्त्यार सिंह जाति जाट निवासी फतेहपुर तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
3.गौतम सिंह पुत्र मुख्त्यार सिंह जाति जाट निवासी फतेहपुर तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए

उपस्थितिः—
1.श्री नरेन्द्रपाल सिंह एडवोकेट प्रार्थीगण।
2.श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट अप्रार्थीगण।

निर्णय **दिनांकः—19.02.2026**

वादी ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि हम प्रार्थीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1180/0.19, 1383/0.19, 1483/0.14, 427/0.12, 595/0.13, 599/0.20, 613/0.15, 677/0.26, 683/0.27 कुल किता 9 कुल रकवा 1.65है0 वाके ग्राम फतेहपुर तहसील उच्चैन जिला भरतपुर में स्थित है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1144/0.11, 1145/0.13, 610/0.26, 559/0.10, 1524/0.41है0 वाके ग्राम फतेहपुर तहसील उच्चैन में स्थित है। उक्त विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या 1 की स्वयं अर्जित आराजी नहीं है बल्कि पुरखों की पुस्तैनी जायदाद है अर्थात अप्रार्थी संख्या 1 के मामा हरेती पुत्र चिरंजी की छोडी हुई आराजी है चुंकि हमारे पूर्वज हरेती की कोई सन्तान नहीं थी केवल एक बहिन टॉकों पुत्री चिरंजी थी जो हमारी दादी लगती थी उक्त विवादित आराजी हमारे पूर्वज हरेती पुत्र चिरंजी ने अपने जीते जी अप्रार्थी संख्या 1 अर्थात हमारे पिता को विरासतन राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 02.04.1987 से प्राप्त हुई है अर्थात हम प्रार्थीगण के पूर्वज हरेती पुत्र चिरंजी की छोडी हुई आराजी है जिसमें हम प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 2 व 3 के पिता मुखत्यार सिंह पुत्र चेती कर्ता खानदान होने के कारण राजस्व अभिलेख में इन्द्राज हो रहा है जबकि उक्त विवादित आराजी हमारे पूर्वज टॉको पुत्री चिरंजी जो हमारी दादी थी उनके भाई हरती पुत्र चिरंजी की छोडी हुई आराजी है जिसमें हम प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को जन्म लेते ही खातेदारी अधिकारी पैदा हो जाते है। हम वादीगण/प्रार्थीगण एवं

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण का सजला(वंश वृक्ष) वाद पत्र के साथ संलग्न है। उक्त विवादित आराजी को हम प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा0 4 अव तक सामिल सरीक होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त विवादित आराजी में हम प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 लगा0 4 अपने पिता प्रतिवादी संख्या 1 मुखत्यार सिंह शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ्य रहते है सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती है जो अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के वहकावे में आकर हम प्रार्थीगण के हिस्से को भी विकय करने पर तुले हुए है जो हम प्रार्थीगण से वेवजह रंजिस रखते है और अपने पिता के अधिकारों को निभाने में पूर्णतः विफल रहे है एवं दिनांक 6.7.2025 को स्पष्ट तौर पर धमकी दी है कि में उक्त विवादित आराजी को किसी लठैत एवं ताकतवर व्यक्ति को रहनवय मुन्तकिल कर दुंगा तुम्हे तुम्हारे हिस्से से वेदखल कर दुंगा हम प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि उक्त विवादित आराजी पैत्रिक है जिसमें हम प्रार्थीगण को जन्म लेते ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1,2 व 3 ने स्पष्ट तौर पर हम प्रार्थीगण से कह दिया है कि उक्त आराजी आज मेरे नाम पर है मैं जव चाहुंगा और जिसको चाहुगा उसे बेचान करूगा यदि अप्रार्थीगण अपनी धमकी एवं नाजायज मंशा में सफल हो गया तो हम प्रार्थीगण को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति नगद रूपयों पैसों से सम्भव नहीं हो सकेगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला बाद अस्थाई निषेधज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के द्वारा जरिये अधिवक्ता जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा सच्चाई को छिपाते हुये झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया है जो काबिल खारिजी है प्रार्थना पत्र के मद संख्या 7 में प्रार्थीगण एक तरफ तो स्वयं कहता है कि उक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 जो कि प्रार्थी का तथाकथित पिता है को प्रार्थी के मामा हरेती से विरासतन प्राप्त हुई है एवं दूसरी तरफ इसी मद में प्रार्थी ने दर्ज कराया है कि उक्त अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये न्यायालय आरएए भरतपुर के डिक्री एवं आदेश दिनांक 2.4.1987 से प्राप्त हुई है और जब उक्त आराजी न्यायालय आदेश आरएए भरतपुर से प्रतिवादी/अप्रार्थी को प्राप्त हुई है तो उक्त आराजी पैत्रिक नहीं रही है डिक्री एवं निर्णय से प्राप्त आराजी स्वयं अर्जित आराजी होती है एवं कानूनन अर्जित आराजी में प्रार्थी का कोई हक एवं अधिकार नहीं होता अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल खारिजी है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी हरेती पूत्र चिरंजी की छोडी आराजी है तथा हरेती के कोई सन्तान नहीं हुई थी तथा हरेती ने मुझ अप्रार्थी संख्या 1 को बचपन में ही गोद ले लिया था तथा मुझ अप्रार्थी संख्या 1 ने हरेती को उसके जीवन पर्यन्त सेवा चाकरी एवं दवा दारू की थी जिसके प्रतिफल स्वरूप उक्त आराजी मुझ अप्रार्थी को मिली थी उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी मुझ अप्रार्थीगण को जन्म लेते ही विरासत में प्राप्त नहीं होने के कारण पैत्रिक नहीं है जिसमें मुझ अप्रार्थी की इच्छा के विरूद्ध किसी को खातेदारी अधिकार कानूनन प्राप्त नहीं हो सकते प्रार्थना पत्र इसी बिनाय पर काबिल खारिजी है। प्रार्थीगण की मां की शादी गांव सादपुरा तहसील बयाना में हुई थी तथा प्रार्थीगण के पैदा होने के बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई थी एवं प्रार्थीगण की मां एवं मुझ अप्रार्थी संख्या 1 से गांव फतेहपुर में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 पैदा हुये थे। प्रार्थीगण गांव सादपुरा में ही रहे थे तथा प्रार्थीनी संख्या 2 की शादी भी सादपुरा बालों ने ही की थी अतः उक्त प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

मुझ अप्रार्थी संख्या 1 की सगी सन्तान नहीं है तथा उक्त आराजी में उनका कोई हिस्सा नहीं है। प्रार्थीगण के द्वारा उक्त आराजी के सम्बन्ध में पूर्व में भी कई उनवानी अनुराग बनाम मुखत्यार सन् 2019 में दिनांक 30.06.2019 को धमकी देना बताते है एवं उनवानी लोकेन्द्र बनाम मुखत्यार सन् 2023 में दिनांक 5.07.2023 को धमकी देना बताते है इसी प्रकार उनवानी मुकदमा लोकेन्द्र बनाम मुखतार सन् 2025 में दिनांक 6.07.2025 को धमकी देना बताते है एवं इसी प्रकार सन् 2012 में भी मुकदमा पेश किया था एवं सभी मुकदमों को अदम हाजिरी अदम पैरबी में खारिज कराया क्योंकि प्रार्थी इस तथ्य से भली भांति परिचित है कि उक्त आराजी पैत्रिक नहीं है। अप्रार्थीगण ने जोडतोड कर अपनी मां के नाम का सहारा लेकर दस्ताबेज बनवा लिये है जिससे कि अप्रार्थी संख्या 1 की मृत्यु के उपरान्त उक्त आराजी में उन्हें हिस्सा मिल सके अतः प्रार्थीगण बार बार अप्रार्थी संख्या 1 की मृत्यु तक इस आराजी पर स्थगन रखना चाहते है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल खारिजी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण के पूर्वजों की छोडी हुयी पैत्रृक आराजी है उक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 के मामा हरेती पुत्र चिरंजी की छोडी हुई आराजी है चुंकि हमारे पूर्वज हरेती की कोई सन्तान नहीं थी केवल एक बहिन टॉकों पुत्री चिरंजी थी जो हमारी दादी लगती थी उक्त विवादित आराजी हमारे पूर्वज हरेती पुत्र चिरंजी ने अपने जीते जी अप्रार्थी संख्या 1 अर्थात हमारे पिता को विरासतन राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 02.04.1987 से प्राप्त हुई है अर्थात हम प्रार्थीगण के पूर्वज हरेती पुत्र चिरंजी की छोडी हुई आराजी है जिसमें हम प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 2 व 3 के पिता मुखत्यार सिंह पुत्र चेती कर्ता खानदान होने के कारण राजस्व अभिलेख में इन्द्राज हो रहा है जबकि उक्त विवादित आराजी हमारे पूर्वज टॉको पुत्री चिरंजी जो हमारी दादी थी उनके भाई हरेती पुत्र चिरंजी की छोडी हुई आराजी है जिसमें हम प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को जन्म लेते ही खातेदारी अधिकारी पैदा हो जाते हैं। अप्रार्थी संख्या 1 ने हम प्रार्थीगण की परिवरिश सहीं नहीं की है एवं हमारे मध्य हुये परिवारिक समझौते को मानने से भी इन्कार कर दिया एवं कब्जे काश्त के विवादित के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध एफआईआर भी दर्ज करायी गयी थी। अप्रार्थीगण ने उक्त आराजी को अन्य किसी दीगर व्यक्ति को बेचान करने की धमकी दी है। अप्रार्थीगण को ताफैसला बाद जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पाबंद फरमाये जाने का निवेदन किया है।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जबाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है कि उक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये न्यायालय आरएए भरतपुर के डिक्री एवं आदेश दिनांक 2.4.1987 से प्राप्त हुई है और जब उक्त आराजी न्यायालय आदेश आरएए भरतपुर से प्रतिवादी/अप्रार्थी को प्राप्त हुई है तो उक्त आराजी पैत्रिक नहीं रही है डिक्री एवं निर्णय से प्राप्त आराजी स्वयं अर्जित आराजी होती है एवं कानूनन अर्जित आराजी में प्रार्थी का कोई हक एवं अधिकार नहीं होता । प्रार्थीगण गंगादेवी एवं रोहिताश की संतान है जिसकी मृत्यु प्रार्थीगण के पैदा होने के पश्चात हो गई थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 गंगा देवी एवं मुखत्यार सिंह की सन्तान है। प्रार्थीगण मुझ अप्रार्थी संख्या 1 की सगी सन्तान नहीं है एवं उक्त आराजी में उनका कोई हिस्सा भी नहीं बनता है। उक्त आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थीगण के द्वारा पूर्व में

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

भी वादपत्र उनवानी अनुराग बनाम मुखत्यार एवं लोकेन्द्र बनाम मुखत्यार पेश किये गये थे जिनको प्रार्थीगण के द्वारा अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज करा लिया गया था। प्रार्थीगण के द्वारा उक्त आराजी के सम्बन्ध में पूर्व में अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज हुये मुकदमों को पुनः नम्बर पर लेने हेतु आवेदन करना चाहिए था ना कि अन्य कोई मुकदमा भिन्न– भिन्न दिनांक को धमकी दिया जाना बताकर पेश करने चाहिए थे। प्रार्थीगण ने उक्त वादपत्र तथ्यों को छुपते हुये पेश किया है प्रार्थीगण क्लीन हैंड से न्यायालय में नहीं आये है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र, जबाव प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड आदि का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के मद संख्या 7 में इस तथ्य का अंकन किया है कि उक्त विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये डिक्री न्यायालय श्रीमान आरएए भरतपुर से प्राप्त हुयी है एवं साथ ही अंकन किया है कि उक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण की पैत्रृक आराजी है उक्त दोनों कथन विरोधाभासी है। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण को गंगादेवी पत्नि रोहिताश की संतान बताया है जोकि जांच का विषय है इसके संबंध में प्रार्थीगण का कोई भी ठोस साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अभिभाषक अप्रार्थीगण के द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त विवादित आराजी के सम्बन्ध में पूर्व में कई मुकदमे वउनवानी अनुराग बनाम मुखत्यार एवं लोकेन्द्र बनाम मुखत्यार अलग– अलग वादकारण बताते हुये पेश किये थे एवं उनको अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज करा लिया था। प्रार्थीगण को उक्त जायदाद के सम्बन्ध में पूर्व में पेश किये गये मुकदमे को ही पुनः नम्बर पर लेने हेतु आवेदन कर प्रकरण में पुनः सुनवाई चालू करवानी चाहिए थी। उक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी उक्त प्रकरण में क्लीन हैड से नहीं आया है एवं प्रार्थीगण द्वारा बिवादित आराजी पर कब्जे काश्त के सम्बन्ध में कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे की स्पष्ट हो सके की प्रार्थीगण का उक्त विवादित आराजी पर कब्जा काश्त है कि अथवा नहीं है। प्राईमाफेसी केस, सुबिधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिंदू प्रार्थीगण के हक में साबित नहीं होते है।

अतः आदेश हैः–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 19.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार हरसौलिया (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर